भारत सरकारकार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)\* \* \*

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या ：705

（दिनांक 16.08.2012 को उत्तर के लिए）

सिविल सेवकों के रिक्त पद

**705. श्री वैष्णव परिडा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आई.ए.एस., आई.पी.एस. और अन्य सिविल सेवकों के 3000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) क्या स्टाफ की कमी से राज्यों के प्रशासनिक कार्यों और पुलिस संबंधी कार्यकलापों पर प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) इन पदों को शीघ्र भरे जाने के लिए क्या कार्य योजना है;

(घ) क्या त्वरित भर्ती को सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश के कुछ मानकों को शिथिल किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वे. नारायणसामी)**

(क) और (ख) : दिनांक 1.1.2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में रिक्तियों का ब्यौरा निम्नवत है :-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **सेवा का नाम** | **कुल प्राधिकृत संख्या** | **पदस्थापित अधिकारी** | **संवर्ग अन्तराल** |
| भारतीय प्रशासनिक सेवा | 6154 | 4377 | 1777 |
| भारतीय पुलिस सेवा | 4730 | 3475 | 1255 |

अन्य सिविल सेवकों के संबंध में रिक्ति की स्थिति केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है ।

(ग) : सरकार ने सीधी भर्ती कोटे के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की वार्षिक भर्ती में बढ़ोतरी की है । पदोन्नति कोटे में, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में राज्य सेवा अधिकारियों के चयन हेतु चयन समिति की बैठक आयोजित करने हेतु त्वरित कार्रवाई की गई है ।

(घ) और (ड.) : जी, नहीं । नियुक्ति/भर्ती, संबंधित सेवा के भर्ती नियमों और उनके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार की जाती है।

\* \* \* \* \*